E-mail

अति आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 17,पंचकूला हरियाणा-134109
Website : www.secharyana.gov.in
Email id :sec@hry.nic.in
Phone No. +91 172 258 4810
Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2017/1127 दिनांक 12.09.2017

सेवा में,

उपायुक्त, गुरुग्राम, अम्बाला एवं यमुनानगर।

विषयः- नगर निगम/नगर पालिकाओं के आम चुनाव, 2017 के दौरान किये जाने वाले खर्चे से सम्बन्धित हिदायतें।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आपको सूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2017 को करवाये जाने की अधिसूचना दिनांक 30.08.2017 द्वारा जारी की गई है। आपको नगर निगम/नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय/रिफैशमैंट, स्टेशनरी/चुनाव सामग्री की खरीद, टैन्टेज, विडियोग्राफी, बैरीकेडिंग, बसों के किराये अन्य फुट कर रवर्च इत्यादि के लिए आयोग द्वारा चुनाव मद तथा पी.ओ.एल. मद में राशि अलाट की जाती है।

3. इसके अतिरिक्त नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2017 में विभिन्न खर्च जैसाकि चुनाव मद (मानदेय/रिफैशमैंट, चुनाव सामग्री की खरीद, टैंटज, बस किराया अन्य फुट कर खर्च इत्यदि) पी.ओ.एल. (सरकारी गाडियों, बसों में पट्रोल/डीजल का खर्च) आयोग द्वारा समय-2 जारी हिदायतों अनुसार/पीली पुस्तिका में वर्णित हिदायतों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जायेः-

1. <u>टैंटेज की व्यवस्था के लिए हिदायतें</u>

- रिहर्सल, सामान वितरण, सामान वापसी, मतगणना रिहर्सल, तथा मतगणना के लिये सरकारी इमारतों (कम्यूनिटी सैंटर, पंचायत भवन, स्कूल/कालेज हाल, अनाज मण्डी शैड इत्यादि) का इस्तेमाल किया जाये। अगर उपरोक्त भवन उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में टैंटज की व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक नगरनिगम/नगरपालिका आदि के कुल पोलिंग बूथों की संख्या को 4 से गुणा करके उसमें 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ तथा रिर्हसल करवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टाफ को जोड़ कर कुर्सियों की गणना की जाए तथा केवल साधारण कुर्सियां ही किराये पर ली जाएं तथा पीली पुस्तिका में वर्णित निर्देशानुसार ही टैंटज लगवाये जाएं।
- <u>मतगणना/चुनाव सामग्री</u> के आंबटन कार्य की आवश्यकता के अनुसार मेजों की गणना करके किराये पर ली जाए।
- लाईट प्रबंध केवल मतदान उपरान्त सामान वापसी तथा मतगणना वाले दिन के लिये ही आवश्यक होता है अतः तदानुसार ही <u>लाईट/जनरेटर</u> आदि की व्यवस्था की जाए। यदि कार्यालय में देर रात तक कार्य करना आवश्यक हो और उचित प्रकाश व्यवस्था न हो तो केवल गैस किराये पर ली जाएं। केवल न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रबंध किया जाए।
- उपायुक्त द्वारा निर्धारित की गई दरों अथवा निविदाएं प्राप्त करके, जो भी कम हो, के आधार पर ही टैंटज का सामान किराये पर लिया जाए। किराये की अदायगी भी एक दिन अर्थात् 24 घण्टे प्रयोग किए गए सामान की ही की जाए।
- टैंटज इत्यादि के बारे में पीली पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर वर्णित हिदायतों की पालना की जाए।

2. <u>मतदाता सूचियों के खर्चे बिलों का निपटान :-</u>

नगरनिगम/नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों की छपवाई का कार्य समाप्त हो चुका है। मतदाता सूचियों की छपवाई पर खर्चे राशि के बिलों को आयोग की हिदातयों के अनुसार छपवाई गई मतदाता सूचियों के बिलों को स्थानीय आडिट अधिकारी (Resident Audit Officer)/अनुभाग अधिकारी से चैक करवाकर सत्यापित की गई राशि की अदायगी की जाए।

3. **बैरीकेडिंग**

बेरीकेडिंग केवल मतदान केन्द्र/मतगणना वाले स्थान पर अस्थाई तौर पर बल्लियां/बांस/पाईप/रस्सी आदि किराये पर लेकर बनाई जाए। अति सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों पर, यदि परिहार्य कारणों से बैरीकेडिंग के लिये ईट, सीमेंट, लोहे की जाली आदि से पक्का निर्माण करना आवश्यक हो तो आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

4. **विडियोग्राफी**

केवल अति सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों की विडियोग्राफी कराई जाए। सामान्यतः 5 प्रतिशत बूथों की विडियोग्राफी करवाई जाए। यदि इससे अधिक बूथों की विडियोग्राफी करवाई जानी आवश्यक हो तो इसकी पूर्व अनुमति आयोग से प्राप्त की जाए। विडियोग्राफी के किराये की अदायगी भी एक दिन (अर्थात् 24 घण्टे) की जाए।

5. **डीजल के खर्चे पोलिंग पार्टी हेतू एवं सैक्टर मजिस्टेट/सुपरवाईजरों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली गाडियों का किराया/डीजल आदि के लिए हिदायतें –पोलिंग पार्टियों व अधिकारियों के लिये वाहन किराये पर लेना**

- पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों पर भेजने व वापिस लाने के लिये प्राईवेट बस, ट्रक, कैंटर, जो भी उपलब्ध हो आदि को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर लिया जाए।
- प्रत्येक 52 सीटर बस में 7 पोलिंग पार्टियां, मिनी बस में 5 पोलिंग पार्टियां तथा कैंटर व ट्रक में कम से कम 6 पोलिंग पार्टियां भेजी जाएं। पोलिंग बूथों की संख्या/पोलिग पार्टियों के आधार पर ही वाहन किराये पर लिये जाएं।
- उक्त वाहनों को केवल दो दिन के लिये ही किराये पर लिया जाए। पोलिग पार्टियों को मतदान केन्द्रो पर छोडने/वापिस लाने के लिए निर्धारित वाहनों का प्रयोग किया जाये।
- वाहनों में तेल तय की गई दूरी के हिसाब से ही डलवाया जाये। यदि किसी वाहन में आवश्यकता से अधिक तेल डलवाया गया है तो उसकी कटौती वाहन किराये में से कर ली जाए।
- वाहनों में तेल परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा प्रत्येक वाहन के लिये तय की गई माईलेज के हिसाब से ही डलवाया जाए।
- किराये पर लिये गये वाहनों की लाग बुक पूर्ण रूप से भरवाकर तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी से सत्यापित करवाकर फोटो प्रतियां कार्यालय रिकार्ड में रखी जाए।
- डयूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाईजर आदि के लिये जहां तक संभव हो सरकारी वाहन ही उपलब्ध करवाए जाएं और लाग बुक में तय की गई दूरी के अनुसार ही वाहनों में तेल डलवाया जाए तथा लॉग बुक की सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखी जाएं।
- चूंकि आजकल सम्पर्क साधन सुलभ व पर्याप्त मात्रा में होने के कारण हर समय आवश्कयता अनुसार वाहन उपलब्ध किए जा सकते है। अतः कम से कम वाहन रिर्जव में रखे जाएं।
- आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय व अन्य कार्यालयों से चुनाव सामग्री लाने व ले जाने के लिये सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के वाहनों का ही प्रयोग किया जाए और उनमें तय की गई दूरी के अनुसार ही तेल डलवाया जाए।

6. **चुनाव सामग्री की खरीद के लिए हिदायतें**

आयोग के पत्र कमांक रा0नि0आ0/स्टोर/2017/1338–42, दिनांक 20.07.2017, जोकि आपको सम्बोधित है, के अनुसार नगरनिगम/नगरपालिका के आम चुनाव–2017 में प्रयोग हेतु पोलिंग बूथों की संख्या अनुसार अपने स्तर पर तीन राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी गठित करके निर्धारित प्रकिया व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए पीली पुस्तक के पृष्ठ 5 के अनुसार गणना करके समय पर खरीद कर ली जाए।

7. **मानदेय एव जलपान हेतु हिदायतें :–**

आप द्वारा निर्धारित किये गये पोलिंग बूथों की संख्या के आधार पर 1+3=4(1 पीठासीन अधिकारी + 3 पोलिंग अधिकारी) तथा 5 प्रतिशत रिर्जव स्टाफ (पोलिंग/मतगणना) को आयोग के पत्र कमांक SEC/1-Acctt/2015/1915-56, dated 03-09-2015 में दी गई दरों तथा कमांक SEC/2-Acctt/2014/607-627,dated26-08-2014, कमांक रा0नि0आ0/2–लेखा/2017/992–1013 दिनाक 02.08.2017 अनुसार EPS के माध्यम से अदायगी की जाए। (रिफ्रैशमैंट राशि 150/–रू0 मतदान के दिन) केवल एक दिन के लिए गणना की जाए।

रिर्जव स्टाफ 5 प्रतिशत के हिसाब से रखा जाए।

कृपया चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट/यूनिक कोड इत्यादि रिहर्सल के समय या चुनाव डयूटी से पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

8. चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव मद, पी.ओ.एल. मद में, यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग हो तो उसकी अलग-2 डिटेल बनाकर राशि को स्थानीय आडिटर अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से सत्यापित करवाकर वास्तविक राशि की मांग अविलम्ब आयोग को भिजवाई जाए। बिना तसदीक के किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. चुनाव सामग्री वितरण/प्राप्त करने के लिए तथा मतगणना के लिए आवश्यकतानुसार कम से कम स्टाफ नियुक्त किया जायें तथा रिर्जव स्टाफ से चुनाव सामग्री वितरण में सहायता प्राप्त की जाए।

10 आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2015/1915-56, dated 03-09-2015 के पृष्ठाकंन कमांक के बिन्दू 3 अनुसार उक्त आम चुनाव 2017 के दौरान नियुक्त ई0वी0एम. ट्रेनरों को हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित T.A. Rules के अनुसार टी0ए0/डी0ए0 की अदायगी की जानी है। इसके अतिरिक्त पत्र SEC/1-Acctt/2015/866-931, dated 10-06-2015 के अनुसार टी0ए0/डी0ए0 की अदायगी अपने पैतृक विभाग से की जानी है।

11. यदि किसी भी हिदायत बारे स्थिति स्पष्ट न हो तो आयोग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

नोटः- अधिक जानकारी के लिए आयोग की website **www.secharyana.gov.in** पर देखें।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृं0 कमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2017/1128-30 दिनांक 12.09.2017

इसकी एक-2 प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः-

1. आयुक्त, नगरनिगम, गुरुग्राम।
2. सचिव, नगरपालिका बराडा, अम्बाला।
3. सचिव, नगरपालिका, रादौर, यमुना नगर।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

प्रति : अधीक्षक नगरपालिका शाखा